(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री सतीश धाकड उम्र 28 वर्ष पुत्र गजानन्द धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम धनोरिया पोस्ट कपासी तहसील बमारी जिला गुना (म.प्र.) (मालिक व विक्रेता) मैसर्स लक्ष्मी किराना स्टोर, गुना रोड नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वंय उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 31.12.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.3.2019 को मैसर्स लक्ष्मी किराना स्टोर, गुना रोड नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सतीश धाकड पुत्र गजानन्द धाकड (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 15.3.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आता है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:14 IST
Reason: Self Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** के 04 मूल पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री सतीश धाकड पुत्र गजानन्द धाकड (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 250/– रूपये (अक्षरे दो सौ पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** के 04 मूल पैकिट को चार नमूना भागो मे अलग–अलग मूल पैकिट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–918 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–918 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सतीश धाकड पुत्र गजानन्द धाकड ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/148 दिनांक 23.4.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200/FSSA /Kota/ Act/2019 /221 दिनांक 11.4.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स लक्ष्मी किराना स्टोर, गुना रोड नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ से पत्रांक 153 दिनाक 24.4.[illegible] सूचना चाही गई। मैसर्स लक्ष्मी किराना स्टोर, गुना रोड नाहरगढ तहसील [illegible] प्रत्युत्तर में खाद्य रजि0 पत्र एवं आधारकार्ड की छायाप्रति कार्यालय में [illegible] गई। इन[illegible] आगामी कोई क्रय बिल पेश नही किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 18.11.2019 को [illegible] रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उक्त **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** जांच रिपोर्ट मे सही पाया गया है जिसकी किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नही की गई है ओर कोई व्यक्ति मिर्च पाउडर को खाने से बीमार भी नही हुआ है। उक्त मिर्च पाउडर मिथ्याछाप होना जांच रिपोर्ट मे अंकित किया गया है। मेरे द्वारा उक्त मिर्च पाउडर के पैकिट अन्य दुकानदार से क्रय किये जाकर, अन्य व्यक्तियो को विक्रय किये जाते है जिसका बिल मेरे पास उपलब्ध नही होने के कारण मेरे विरूद्व यह कार्यवाही इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गयी कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200/FSSA /Kota/ Act/2019 /221 दिनांक 11.4.2019 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री गणेश मसाले) 500 ग्राम पैकिट** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200/FSSA /Kota/ Act/2019 /221 दिनांक 11.4.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को 5000/– रूपये (अक्षरे पॉच हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:21:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: